भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3851
दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आर्सेनिक संदूषण

3851. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक संदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का आर्सेनिक संदूषण के कारण देश में फैली बीमारियों के उन्मूलन के लिए विदेशी स्वास्थ्य विशेषज्ञों/संगठनों की सहायता से ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यों को वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि के आबंटन की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (घ): सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है । तथापि, भारत सरकार ने आर्सेनिक संदूषण के कारण फैलने वाली बीमारियों के उन्मूलन के लिए कई कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल, को राज्यों की साझेदारी में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, उपयुक्त गुणवत्ता के पीने योग्य जल की नल से आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।
ii. जल जीवन मिशन के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अधिक मात्रा में जल अंतरण की पाइप जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाएं और उन्हें लागू करें और हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की भी सलाह दी गई है।
iii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम (एनएक्यूआईएम) के तहत भूमि जल में आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष

ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, एनएक्यूआईएम के तहत, सीजीडब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के आर्सेनिक प्रभावित भागों में आर्सेनिक सुरक्षित अन्वेषी कूओं का निर्माण करता है। आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृत (एक्विफर) क्षेत्रों की पहचान की गई है और नवीन सीमेंट सीलिंग तकनीक के प्रयोग से आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृतों का उपयोग करके कुओं का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 अब तक, एनएक्यूआईएम कार्यक्रम के तहत बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 188 और उत्तर प्रदेश में 294 सहित 522 अन्वेषी कुओं का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, आर्सेनिक मुक्त कुओं के निर्माण में उपयोग करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी की नवीन सीमेंट सीलिंग तकनीक को राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।

iv. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उद्योग विशिष्ट मानकों और अपशिष्टों के निर्वहन के लिए सामान्य मानकों को विकसित करके बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने हेतु जल प्रदूषण पर व्यापक कार्यक्रम बनाया है।

v. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल के अधिकतम उपयोग और भूजल चार्जिंग में सुधार के लिए जल संचयन के उपायों के लिए एक व्यापक भूजल संरक्षण योजना तैयार की गई है। भू-जल के अवैध दोहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए कार्य योजना प्रस्तावित है।

साथ ही के इसके अलावा, भूजल की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर, जहां कहीं भी फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं की मात्रा भारतीय पेयजल मानक ब्यूरो से अधिक पाई गई, वहां संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्य विभागों को कार्रवाई करने का निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया था, जैसे कि:

क. दूषित भू-जल वाले हैंडपंपों/कुओं को सील करना
ख. स्थानीय भाषा में (पीने के पानी के लिए उपयुक्त नहीं) संकेत बोर्ड प्रदर्शित करना।
ग. प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फ्लेक्सिबल पूल के तहत एकमुश्त आधार पर निधियां निर्गत की जाती हैं ताकि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकतों और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र द्वारा जारी राशि अनुलग्नक में दी गई है ।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र द्वारा जारी राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(करोड़ रू में)

क्र सं	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23
		केंद्र द्वारा जारी राशि	केंद्र द्वारा जारी राशि	केंद्र द्वारा जारी राशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	36.91	43.68	45.26
2	आंध्र प्रदेश	1097.81	1199.37	1,489.45
3	अरुणाचल प्रदेश	243.04	188.53	233.82
4	असम	1807.48	1955.93	1,981.83
5	बिहार	1814.63	1748.76	1,586.57
6	चंडीगढ़	22.21	17.47	38.09
7	छत्तीसगढ	979.41	969.61	1,195.08
8	दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव	36.39	38.59	58.28
9	दिल्ली	125.73	127.37	35.15
10	गोवा	34.81	26.01	55.42
11	गुजरात	1005.66	1094.48	1,120.06
12	हरियाणा	531.5	577.07	681.21
13	हिमाचल प्रदेश	441.94	555.09	494.65
14	जम्मू और कश्मीर	667.46	459.1	651.52
15	झारखंड	602.8	640.18	810.30
16	कर्नाटक	1232.19	1274.71	1,246.67
17	केरल	788.22	771.47	1,036.76
18	लक्षद्वीप	7.11	8.41	9.97
19	मध्य प्रदेश	2377.14	2295.66	2,582.10
20	महाराष्ट्र	1833.59	1769.67	2,187.13
21	मणिपुर	189.49	95.59	61.40
22	मेघालय	202.63	282.46	261.56
23	मिजोरम	143.73	93.82	111.82
24	नगालैंड	188.21	126.66	91.38
25	ओडिशा	1617.63	1263.07	1,284.69
26	पुदुचेरी	25.55	21.33	20.73
27	पंजाब	568.14	349.21	448.89
28	राजस्थान	2000.58	1924.95	1,460.80
29	सिक्किम	70.13	51.86	73.30
30	तमिलनाडु	1522.71	1631.91	1,652.24
31	त्रिपुरा	225.91	217.95	231.90
32	उत्तर प्रदेश	3772.95	3235.46	5,133.59
33	उत्तराखंड	583.25	553.47	505.01
34	पश्चिम बंगाल	1895.01	1654.26	1,252.32
35	तेलंगाना	671.88	725.67	683.77
36	लद्दाख	91.89	44.79	94.95

*****